10395
6.10.17

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: संकल्प ::

कृपया पढ़ें :–

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक–269 / स्था0, दिनांक 06.05.2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं0–4331, दिनांक 13.05.2015; पत्रांक–4496, दिनांक 21.05.2015; आदेश सं0–2695, दिनांक 29.03.2016 एवं संकल्प सं0–8256, दिनांक 23.09.2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–165, दिनांक 07.12. 2016

श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला–राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहंड, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–269 / स्था0, दिनांक 06.05.2015 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र– 'क' में श्री कुजूर के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है–

आरोप सं0–1 आप दिनांक 05.05.2015 को पूर्व सूचना एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे।

आरोप सं0–2 दिनांक 05.05.2015 को दूरभाष पर आपसे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका।

आरोप सं0–3 दिनांक 05.05.2015 को आप मुख्यालय से बाहर राँची में थे एवं आपकी संलिप्तता, सरकारी कार्यों के निष्पादन में व्यवधान संबंधी आपत्तिजनक कार्यों में पाया गया है। यह सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

आरोप सं0–4 कार्यालय पत्रांक 394 / गो0 दिनांक 05.05.2015 को आपसे मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के क्रम में स्पष्टीकरण पूछा गया। विहित समयावधि में आपका उत्तर अप्राप्त रहा। यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

आरोप सं0–5 दिनांक 06.05.2015 को 09:00 बजे पूर्वाह्न विकास से संबंधित बैठक में अनुपस्थित थे, इससे स्पष्ट है कि आप मुख्यालय में नहीं थें।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं0–4331, दिनांक 13.05.2015 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया तथा पत्रांक–4496, दिनांक 21.05.2015 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात, विभागीय आदेश सं0–2695,

7 29

दिनांक 29.03.2016 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। श्री कुजूर के पत्र, दिनांक 02.06. 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुजूर के विरूद्ध आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–8256, दिनांक 23.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–165, दिनांक 07.12.2016 द्वारा श्री कुजूर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री कुजूर विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहंड, चतरा, सम्प्रति–निलंबित को **भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है तथा इसकी प्रविष्टि इनकी गोपनीय चारित्री में दर्ज की जायेगी।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अजय कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6.10.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–23/2015 का0–10395/राँची, दिनांक 6 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– ~~नोडल~~ पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, चतरा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा0प्र0से0, सम्प्रति–निलंबित, मुख्यालय–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.17

सरकार के संयुक्त सचिव।